

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// आ दे श //


कमांक 257 / तीन-16-1 / 05

हरदा दिनांक 22.12.2021

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा निर्धारित शीतकालीन अवकाश अवधि दिनांक 23.12.2021 से दिनांक 31.12.2021 के अंतर्गत इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण का निम्नानुसार शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

| क. | नाम अधिकारीगण | शीतकालीन अवकाश की अवधि | कुल दिवस | रिमार्क |
|-----|--|---|----------|--|
| 1. | कू0 भावना साधौ, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), हरदा म.प्र. | दि. 29.12.2021 से दि. 31.12.2021 | 03 दिवस | दि. 29.12.2021 से दि. 03.01.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 2. | श्री दिनेश कुमार सिंह, तृतीय अपर जिला न्याया. हरदा | प्रथम भाग दि. 27.12.2021 एवं दि. 28.12.2021 तक द्वितीय भाग दि. 31.12.2021 | 03 दिवस | मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 3. | श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, हरदा | दि. 23.12.2021 एवं दि. 24.12.2021 | 02 दिवस | मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 4. | श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा | दि. 28.12.2021 से दि. 31.12.2021 | 04 दिवस | दि. 28.12.2021 से दिनांक 03.01.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 5. | श्री पंकज जायसवाल, सी. जे.एम. हरदा | दि. 27.12.2021 से दि. 31.12.2021 | 05 दिवस | दि. 26.12.2021 की रात्रि से दि. 03.01.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 6. | श्रीमती कला भम्मरकर, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, खिरकिया जिला- हरदा | दिनांक 30.12.2021 से दिनांक 31.12.2021 | 02 दिवस | दि. 29.12.2021 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 03.01.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 7. | श्रीमती अंकिता शाही, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, टिमरनी जिला- हरदा | दि. 29.12.2021 से दि. 31.12.2021 | 03 दिवस | दि. 02.01.2022 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 8. | श्री एस. के. भदकारिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हरदा | दि. 23.12.2021 एवं 24.12.2021 | 02 दिवस | मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 9. | श्रीमती सोनाली शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, हरदा | दि. 23.12.2021 से दि. 28.12.2021 | 06 दिवस | दि. 22.12.2021 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 29.12.2021 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |
| 10. | श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा | दि. 29.12.2021 से दि. 31.12.2021 | 03 दिवस | दि. 28.12.2021 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 03.01.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। |

- नोट :-
1. सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय से प्रस्थान करें।
 2. शीतकालीन अवकाश के दौरान व्यवहार अतिआवश्यक न्यायिक कार्य/दांडिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।
 3. यह आदेश शीतकालीन अवकाश अवधि तक प्रभावशील रहेगा।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 हरदा (म0प्र0)

प्रतिलिपि-निर्देशानुसार :-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा/खिरकिया/टिमरनी, जिला हरदा
3. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
5. लेखापाल/सांख्यिकीय लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा
6. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, महोदय हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, आदेश को संबंधित न्यायिक अधिकारी/संबंधितों को ई-मेल /वॉटसएप के माध्यम से सूचित किये जाने तथा जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किये हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म०प्र०)